न्यायालयः–अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06 मथुरा

लघुवाद इजराय संख्या–01/2012

नरेन्द्र कुमार बनाम प्रेमचन्द पवार

10.12.2019

पत्रावली पेश हुयी। 8ग आपत्ति निर्णीत ऋणी एवं 14ग प्रार्थनापत्र डिक्रीदार, पर पूर्व तिथि डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। आज पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

2. 8ग आपत्ति निर्णीत ऋणी की ओर से इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि अभी तक एक कस्टमरी कायम चली आ रही है, जिसके तहत ट्राइल कोर्ट में यदि कोई वाद या लघुवाद कायम किया जाता है, उसका पंजीकरण कार्यालय द्वारा ही कर लिया जाता है। कार्यालय द्वारा पंजीयन हो जाने के पश्चात वह अंगीकरण हेतु न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत होता है। एकपक्षीय रूप् से प्रस्तुत होने के बाद नोटिस जारी हो जाते हैं व विपक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है। विपक्षी की उपस्थिति में अधिकांशतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा कोई नीतिगत नियमावली वास्ते पंजीकरण कार्यालय अधीनस्थ न्यायालय के प्रति नियम न होने के कारण ऐसा होता चला आ रहा है। प्रश्नगत लघुवाद भी उपरोक्त कारणों से पंजीकृत व अंगीकृत हो जाने के पश्चात नोटिस जारी होकर निर्णीत ऋर्णी की उपस्थिति के पश्चात प्रतिवादपत्र प्रस्तुत हुआ। वाद बिन्दु बनाये जाने में समय न्यायालय द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु लघुवाद में पोइंट ऑफ डिटरमिनेशन कायम किये जाते हैं। लघुवाद में यह लैकुना कायम रहता है कि विपक्षी किरायेदार आबाद चला आता है। विपक्षी को जो दुकान या मकान किराये पर देता है या दिलाता है अधिकांशतः उसी को किराया अदायगी होती रहती है। प्रश्नगत सम्पत्ति ठाकुर जी की सम्पत्ति है। ठाकुर जी नाबालिग है व जूरास्टिक परसन है, उन्हें बजरिये ट्रस्टी अथवा उनके माध्यम से नियुक्त महंत के माध्यम से ही वाद को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत लघुवाद में नरेन्द्र कुमार द्वारा ठाकुर जी व महंत व ट्रस्ट तीनों को बदनीयती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया व स्वयं सम्पत्ति ठाकुर जी के खाली होने व किरायेदारी दिलाये जाने मात्र के आश्वासन पर निर्णीत ऋर्णी से किराया लेता रहा है। जानकारी प्राप्त हो जाने पर से सभी बातें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त इजराय में उपरोक्त दोषों के अलाव जो रिवीजन नं०–35/2011 की स्वीकारोक्ति करते हुए खारिजा दि० 03.07.2012 खाना नं०–4 में दर्शित किया गया है, उसके प्रति निर्णीत ऋणी का यह कथन है कि उक्त खारिज आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दि० 07.09.2012 को रेस्टोरेशन प्रकीर्ण सं०–201681/2002 रिवीजन सं०–35/2011 में खारिज आदेश अपास्त किया जा चुका है। इजराय सं०–01/2012 प्रस्तुतकर्ता मूल रूप से डिक्रीदार नहीं हो सकता है। बावजूद उठाई गयी धनराशि 80,438/–रु० जिसकी स्वीकारोक्ति खाना नं०–5 में की हुई है। उक्त धनराशि नरेन्द्र कुमार द्वारा ठाकुर जी के राग भोग व उत्सव आदि में खर्च न कर अपने निजी खर्च में लिया जाना बताया जा रहा है तथा कहा जा रहा है कि जो तुम चाहो सो कर लो। खाना नं०–7 में मुतालवा डिक्री कुल 95 माह की मु० 95,000/–रु० किराया दर्शाया गया है, जो कानून सही नहीं है। हर्जा इस्तेमाल दि० 27.09.2004 से 26.08.2012 तक मु०

80,438/–रु० की स्वीकारोक्ति कथित डिक्रीदार द्वारा की जा चुकी है। देय धनराशि 14,562/–रु० रूपया का कोई अंकगणतीय हिसाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है, यह नहीं माना जा सकता कि यह धनराशि किस प्रकार से लिखी गयी है, जिसका स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष आना उचित व आवश्यक है। खाना नं०–8 में जर खर्चा 4,408/–रु० किस प्रकार हुआ उसके प्रति डिक्री जो कार्यालय द्वारा बनाई गयी है, निर्णीत ऋणी उसे स्वीकार नहीं करता है, वह नरेन्द्र कुमार के कहने पर बनाई गयी है। निर्णीत ऋणी द्वारा दि० 01.09.2012 से दि० 31.10.2012 तक के किराये के डिपोजिट हेतु चालान बजरिये मुंशी अधिवक्ता प्रस्तुत किया हुआ है। सम्पत्ति दखल तलब जो अभिकथित की गयी है, का विवरण लघुवाद में दिये गये विवरण व वर्तमान में दिये गये विवरण से मिलान नहीं खाता है। कुर्की व नीलाम के प्रति अभिकथित सम्पत्ति का जो विवरण दिया गया है वह किसकी सम्पत्ति है, विवरण को देखे जाने से स्पष्ट नहीं है व उसका मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जिसका मूल्यांकन न हुआ हो ऐसी किसी सम्पत्ति का आंकलन बिना मूल्यांकन दर्शाये विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसे निर्णीत ऋणी स्वीकार नहीं करता। इजराय गलत तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है, जो 20 हजार रूपये विशेष हर्जे के साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

3. जिस पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में निर्णीत ऋणी अनुपस्थित है। जिसके आधार पर अनुपस्थिति के अनुक्रम से निर्णीत ऋणी की आपत्ति को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। इसी प्रकार निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति में उठाये गये तथ्यों को डिक्री के विरूद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री के विरूद्ध उपरोक्त आपत्ति प्रस्तुत किया गया है। जबकि निर्णीत ऋणी की ओर से आपत्ति पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। लघुवाद मुकदमा संख्या 17/2007 नरेन्द्र कुमार बनाम प्रेमचन्द पवार सुप्रीम कोर्ट में पारित निर्णय दिनांकित 01.11.10 का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति में उठाये गये तथ्य को बल देने हेतु न तो आज उपस्थित है, न, ही उपरोक्त मामले में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध निर्णीत ऋणी की आपत्ति को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक औचित्य है। जिसके आधार पर निर्णीत ऋणी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति तदनुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

5. डिक्रीदार की ओर से 14 ग प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि लघुवाद सं०–17/2007 में पारित आदेश दि० 12.11.2010 में प्रेमचन्द्र पवार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक–29.01.2011 को अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया था, यदि वह डिक्री में पारित समस्त देय अदा कर देते हैं तो उनको विवादित सम्पत्ति से बेदखल न किया जाये। उपरोक्त स्थगन आदेश दिनांक–29.01.2011 समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम तिथि तक बढ़ा दिया जाता था। इसी क्रम में दिनांक–29.05.2013 को भी अग्रिम तिथि तक स्थगन आदेश बढ़ाया गया था और केस को Next cause list में लगने के आदेश पारित किये गये थे। अगली तिथि 03.07.2013 को मुकदमा लगा था। उस दिन केस में पुकार लगने पर प्रेमचन्द पवार के वकील साहब उपस्थित नहीं आये और प्रार्थी के वकील साहब उपस्थित थे, आदेश हुआ कि रिवीजन को दिनांक–10.07.2013 को लिस्ट

किया जाये। इस तरह दिनांक–03.07.2013 को अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक–29.01.2011 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं बढ़ाया गया। इसके उपरांत दि० 10.07.2013 को माननीय न्यायालय की व्यस्तता के कारण रिवीजन में पुकार नहीं लगी और न ही कोई आदेश पारित किये गये। दि० 03.07.2013 के बाद से अंतरिम स्थगन आदेश दि० 29.01.2011 अग्रिम आदेश तक नहीं बढ़ाया गया और स्थगन आदेश समाप्त हो गये हैं। उपरोक्तानुसार इस समय कोई भी स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय का प्रभावी नहीं है, जिससे कि इजराय को स्थगित रखा जाये। एस०सी०सी० नं०–17/2007 में पारित आदेश दि० 01.11.2010 एवं माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दि० 29.01.2011 के उपरांत विपक्षी प्रेमचन्द पवार द्वारा आदेशानुसार 1000/–रु० प्रतिमाह किराया एवं 1000/–रु० प्रतिमाह क्षतिपूर्ति देय था। विपक्षी पर दि० 28.08.2017 तक कुल धनराशि 1,58,000/–रु० देय बनती है। इसके विपरीत विपक्षी द्वारा मात्र 1,07,400/–रु० जमा किया गया है। इस तरह विपक्षी पर 28 अगस्त 2017 तक 50,600/–रु० शेष बनता है, जो विपक्षी द्वारा अदा नहीं किया गया है। इस तरह विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक–29.01.2011 का उल्लंघन किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्थगन आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि विपक्षी डिक्री धनराशि जमा नहीं करता है तो स्थगन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। अतः उक्त आधार पर इजराय को क्रियान्वित करते हुए निष्पादित करने की एवं विपक्षी प्रेमचन्द पवार को विवादित सम्पत्ति से बदेखल कर बकाया किराया तथा क्षतिपूर्ति दिलवाने हेतु उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

6. डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 क के विरूद्ध पर्याप्त अवसर के बावजूद निर्णीत ऋणी द्वारा न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत किया गया, न, ही प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति करने हेतु निर्णीत ऋणी की ओर से कोई उपस्थित आया। निर्णीत ऋणी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज सूची 9 ग के माध्यम से सिविल रिवीजन संख्या 35/2011 प्रेमचन्द पवार बनाम नरेन्द्र कुमार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 0.09.12 कागज संख्या 9 ग/2 ता 4 का अवलोकन किया। उक्त निगरानी के संदर्भ में डिक्रीदार द्वारा सूची 18 ग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.01.11, 29.05.13, 03.07.13 प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 16 ग/3 ता 8 मय इण्टरनेट प्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया है, जिसका अवलोकन किया। उसके अतिरिक्त डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र 18 घ के माध्यम से उपरोक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 24.07.19 कागज संख्या 18 घ/2 ता 3 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 35/2011 प्रेमचन्द बनाम नरेन्द्र कुमार व अन्य को दिनांक 24.07.19 को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के खण्डन में कोई भी आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान निष्पादन वाद की कार्यवाही के संदर्भ में कोई भी स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं है। जिसके आधार पर डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 ग स्वीकार करते हुए इजराय वाद को अग्रसारित किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णीत ऋणी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति 8ग निरस्त किया जाता है तथा डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14ग स्वीकार किया जाता है।निर्णीत ऋणी के विरूद्ध बेदखली बावत डिक्रीत सम्पत्ति एवं बकाया किराया वसूलयावी हेतु परवाना बनाम अमीन जारी हो। डिक्रीदार आवश्यक पैरवी 05 दिन में करें।

पत्रावली वास्ते निस्तारण व अमीन आख्या दिनांक 21.12.2019 को पेश हो।

दिनांक–10.12.2019

अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06,मथुरा।